भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1114

जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

विधि प्रशिक्षुओं के लिए अनिवार्य वजीफा ढांचा

1114. श्री प्रवीन खंडेलवाल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अधिवक्ताओं के साथ और विधि फर्मों तथा कॉर्पोरेट विधि विभागों में इंटर्नशिप करने वाले विधि छात्रों के लिए न्यूनतम वजीफा या मानदेय अनिवार्य करने हेतु एक नियामक ढांचा शुरू करने का विचार रखती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इंटर्नशिप की शर्तों को मानकीकृत करने और प्रशिक्षुओं के शोषण को रोकने के संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया, विधि फर्मों और विधि शिक्षा निकायों के साथ परामर्श किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या प्रशिक्षुओं के लिए निष्पक्ष चयन, पारदर्शी कार्य परिस्थितियाँ और शिकायत निवारण सुनिश्चित करने हेतु कोई दिशानिर्देश प्रस्तावित हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो इसकी प्रस्तावित कार्यान्वयन समय-सीमा, नियामक तंत्र और विधि संस्थानों में कवरेज सहित तत्संबंधी व्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : वर्तमान में सरकार द्वारा ऐसा कोई ढांचा या मार्गदर्शक सिद्धांत सूत्रीकरण के अधीन नहीं है ।

(ग) और (घ) : भारतीय बार काउंसिल द्वारा विधिक व्यवसाय के विनियमन और विधिक सुधार के लिए अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन अधिदेश दिया गया है । इस संबंध में, भारतीय बार काउंसिल वर्तमान में विधिक प्रशिक्षुता का मानक प्ररुप् बनाने में व्यस्त है, जिसका उद्देश्य विधिक व्यवसायी, फर्म या संस्थानों द्वारा प्रस्तावित प्रशिक्षुता के प्रबंधन और संरचना में निष्पक्षता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है ।

****